न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 294 / 2024 प्रार्थनापत्र

01. नारायण पुत्र भीमा गुर्जर आयु बालिग निवासी— कुवार तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक जरिए वारिसान

1/1. कानाराम पुत्र नारायण गुर्जर आयु बालिग निवासी— कुवार तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

1/2. रुक्मी देवी पत्नि नारायण गुर्जर आयु बालिग निवासी— कुवार तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

1/3. भावना पुत्री नारायण गुर्जर आयु बालिग निवासी— कुवार तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। —— प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा— 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

01. श्री मुकेश सिंह तंवर —अधिवक्ता प्रार्थी
02. पेशेकार सरकार —अधिवक्ता—विपक्षी

:: निर्णय :: दिनांक— 13.05.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 129, 131, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद कुवांर पटवार हल्का मोटा का खोडा भू अभिलेख निरीक्षक चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वर्तमान खाता संख्या 174 मे वर्णित आराजी नम्बर 785 / 553 कुल किता 01 रकबा 1.0117 हैक्टयर जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थीगण आवटन सुपर्दगीनामा अनुसार काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्राथीगर्ण द्वारा हाल ही राजस्व नक्शे का अवलोकन किया तो जानकारी मे आया कि प्रार्थीगण को जिस जगह कब्जा सुपुर्द किया गया उस जगह तरमीम नही कर गलत तरमीम कर दी गई प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा भी आराजी नम्बर 785 / 553 मे ही है, उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उसी अनुसार तरमीम शुद्वि की जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त तरमीम होने की जानकारी होने पर विपक्षी को पटवार हल्का मोटा का खेडा के राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया, जिस पर विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद पेश करने के आदेश लाने हेतु कहा। गलत तरमीम को दुरूस्त कर कब्जे अनुसार तरमीम करायी जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया विपक्षी संख्या 01 बावजुद सुचना उपस्थित रहे विपक्षी 01 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कब्जे अनुसार तरमीम हेतु निवेदन किया गया, जिस हेतु विपक्षी संख्या 01 द्वारा भी पटवार हल्का मोटा का खेडा एवं भु0 अ0 निरीक्षक चिताम्बा द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर शा0 पत्रावली किया गया एवं प्रार्थी अधिवक्ता ने प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्व किये जाने पर सहमत होना बताया गया ।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड

मैंने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। शरद कुमार पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक सिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वर्तमान खाता संख्या 174 में वर्णित आराजी नम्बर 785/553 कुल किता 01 रकबा 1.0117 हैक्टेयर की राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थीगण आवंटन सुपुर्दगीनामा अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगणों द्वारा हाल ही राजस्व नक्शे का अवलोकन किया तो जानकारी मे आया कि प्रार्थीगण को जिस जगह कब्जा सुपुर्द किया गया उस जगह तरमीम नहीं कर गलत तरमीम कर दी गई प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा भी आराजी नम्बर 785/553 मे ही है, उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उसी अनुसार तरमीम शुद्धि की जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त तरमीम होने की जानकारी होने पर निपकी को पटवार हल्का मोटा का खेड़ा के राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया, अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णित कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर शरद कुमार पटवार हल्का मोटा का खेड़ा अभिलेख निरीक्षक सिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा को 785/553 कुल किता 01 रकबा 1.0117 हैक्टेयर को मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटन आराजी मूल खसरा नम्बर 553 के नवीन बटा नम्बर 553/1, रकबा 0.7588 हैक्टेयर मे से 0.3564 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1032/809, रकबा 4.3757 हैक्टेयर मे से 0.2126 हैक्टेयर अर्थात कुल रकबा 0.5690 हैक्टेयर वादीगण के नाम गैर–खातेदारी हक से दर्ज करते हुए मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार वर्णित तरमीम की जावे। एवं मूल खसरा नम्बर 568 एवं 553 के मध्य की सीमा को नक्शा लट्ठा अनुसार दुरस्त किया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय कब्जा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे। मौका नक्शा की प्रति संलग्न है।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)